

**राजस्थान सरकार****राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

क्रमांक:राम/प-1/1/12/वि/स्था/पार्ट/2018/6/08

दिनांक: 01/07/2020

**:: आदेश ::**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-11 सयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में अधीनस्थ कार्यालय हेतु कार्याग्रहण नहीं करने वाले (NJR) अभ्यर्थियों के विरुद्ध आरक्षित सूची में से नाम पिक-अप किये जाने के संबंध में SBCWP No. 24225/2018 रामेश्वर प्रसाद बनाम राजस्थान में पारित आदेश दिनांक 10.12.2018 के परिप्रेक्ष्य में एवं राज्य सरकार के निर्णय की अनुपालना में कार्याग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के कारण उत्पन्न 333 रिक्तियों के विरुद्ध आयोग द्वारा 317 अनुपालना में प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक: प.1(6)प्र.सु/अनु-3/2017 दिनांक 16.06.2020 के द्वारा नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित अभ्यर्थियों को, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर, वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक: एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक: 30.10.2017 के शिड्यूल IV के तहत पे मैट्रिक्स लेवल- V में 14600/- (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक की दर पर, अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से नियुक्ति किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग/कार्यालय में एतद्वारा पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	संवर्ग	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	पदस्थापन स्थान
1.	श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ / रामचन्द्र सिंह राठौड़	10-07-1991	GEN	1076	468589	राजस्व मण्डल अजमेर
2.	श्री राजेश कुमार / रामकुमार सिंह	11-09-1992	OBC	1095	234933	राजस्व मण्डल अजमेर
3.	श्री बिड़दाराम / छठाराम	05-07-1995	OBC	1109	655526	राजस्व मण्डल अजमेर
4.	श्री जितेन्द्र टाक / गोविन्दराम	15-09-1992	OBC	1120	669282	राजस्व मण्डल अजमेर
5.	श्री कालू खान / मुमताज खान	07-03-1991	OBC	1122	568711	राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
6.	श्री रणजीत कुमावत / रामकुमार कुमावत	27-02-1984	OBC	1126	136560	राजस्व मण्डल अजमेर
7.	श्री रमेश कुमार टेलर / गोपाल टेलर	01-04-1991	OBC	1131	204737	राजस्व मण्डल अजमेर
8.	श्री देवेन्द्र कमेड़िया / रामनिवास कमेड़िया	23-03-1986	OBC	1133	314302	राजस्व मण्डल अजमेर
9.	श्री मनमोहन सिंह बागौड़ / भीम सिंह बागौड़	06-03-1993	GEN	1137	449752	राजस्व मण्डल अजमेर

यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अस्थायी सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिन में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक कार्य संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- अभ्यर्थी की नियुक्ति, कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
- उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओबीसी.एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159/ दिनांक: 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक: 20.10.2015, एवं प011(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक: 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अधीन पूर्णतया अस्थायी रूप से रहेगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित

- वेतन) नियम, 2017 के नियम-16 व परिशिष्ट-iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
- यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गयी एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
  - परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
  - यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
  - दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद की पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन व उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
  - जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
  - संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
  - अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार उनकी सेवार्य समाप्त कर सकेगी।
  - सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
  - अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
  - परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से प्रत्येक पूर्ण मास के आधार पर अनुपातिक आकस्मिक अवकाश देय होगा।
  - परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रावधायी निधि व राज्य बीमा की कटौती नहीं की जावेगी
  - राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम लागू नहीं होकर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
  - कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या: एफ-7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात किसी भी समय दो से अधिक बच्चे होने पर इन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
  - उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक: एफ-6(4) वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगे एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ-6(5) वित्त/नियम/99 दिनांक: 27.07.2004 के अनुसार मेडिकलेम बीमा योजना लागू होगी।
  - यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शाषित होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
  - इनकी वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार किया जावेगा।
  - जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन, मेडिकल प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज शेष है वह कार्यग्रहण करने से पूर्व उक्त दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

उप निबन्धक(प्रशासन)


राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:राम/प-1/1/12/वि/स्था/पार्ट/2018/6109-24

दिनांक: 01/07/2020

1. निजी सचिव, मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार(अनुभाग-3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 1(6)प्र.सु/अनु-3/2017 दिनांक 16.06.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, निबन्धक महोदया, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

5. जिला कलक्टर, ..... श्रीगंगानगर
6. राजस्व अपील प्राधिकारी, ..... श्रीगंगानगर
7. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
8. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,.....
9. कोषाधिकारी, ..... अजमेर
10. उप निबन्धक (गोपनीय/विभागीय जॉच) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर/बिल्स) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. श्री ..... सहायक अशुभाषी
13. आदेश पंजिका/निजी पत्रावली।

  
 उप निबन्धक (प्रशासन)  
 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर